संख्या–वे0आ0–2–1057/दस–2008

प्रेषक,

श्री बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(वेतन आयोग)अनु0–2 लखनऊ :दिनांकः 18 अक्टूबर, 2008

विषयः– वाहन चालक संवर्ग में विद्यमान विभिन्न श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु प्राविधानित ट्रेड टेस्ट के आयोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433/दस–2005–44/2001 टी0सी0 दिनांक–11 मई, 2006 के माध्यम से प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढ़ाँचे में विद्यमान पदों को प्रतिशत के आधार पर पुनर्गठित कर पदनाम, वेतनमान, पदों की संख्या तथा भर्ती की विधि का निर्धारण किया गया था। उक्त पुर्नगठन के फलस्वरुप अस्तित्व में आये पद वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 पद पर पदोन्नति हेतु तथा वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 पद पर पदोन्नति हेतु उक्त शासनादेश द्वारा प्राविधानित ट्रेड टेस्ट के पाठ्यक्रम एवं ट्रेड टेस्ट के आयोजन के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) राज्य मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विद्यमान वाहन चालक संवर्ग के पदों के सापेक्ष तैनात पदधारकों के ट्रेड टेस्ट आयोजन हेतु वाहन चालकों के नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में (जो श्रेणी–2 के राजपत्रित अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी हों) एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा नामित एक–एक ऐसे प्रतिनिधि जिन्हें इस शासनादेश के साथ सलग्न विवरण के अनुसार निर्धारित ट्रेड टेस्ट के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान हो, सम्मिलित होंगें । उक्त समिति, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं लखनऊ स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के वाहन चालकों के लिए ट्रेड टेस्ट का आयोजन करेगी और इस ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होने वाले वाहन चालकों को उत्तीर्ण घोषित करने हेतु प्राधिकृत होगी।

(ii) क्षेत्रीय/जिला स्तर पर विद्यमान वाहन चालक संवर्ग के पदों के सापेक्ष तैनात पदधारकों के ट्रेड टेस्ट हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में अथवा अपने नामित प्रतिनिधि (जो श्रेणी–2 के राजपत्रित अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी हों) की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें इस शासनादेश के साथ संलग्न विवरण के अनुसार निर्धारित ट्रेड टेस्ट के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान रखने वाले सम्बन्धित जनपद अथवा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित जनपद के आर0टी0 ओ0 द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उक्त समिति सम्बन्धित विभाग के वाहन चालकों का ट्रेड टेस्ट आयोजित कर टेस्ट में सम्मिलित होने वाले वाहन चालकों को उत्तीर्ण घोषित करने हेतु प्राधिकृत होगी।

(iii) उपर्युक्त ट्रेड टेस्ट के आयोजन तथा इस हेतु समिति के गठन का दायित्व सम्बन्धित विभाग के वाहन चालक पद हेतु नामित नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी टेस्ट के आयोजन तथा निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम से विभाग के वाहन चालकों को ससमय अवगत कराये जाने एवं ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होने के इच्छुक वाहन चालकों के टेस्ट में भाग लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

(iv) उपर्युक्तानुसार प्रदेश के वाहन चालकों की पदोन्नति हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ट्रेड टेस्ट प्राथमिकता के आधार पर आयोजित किये जायेंगे जिससे टेस्ट में सम्मिलित होने वाले वाहन चालक ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर पदोन्नति हेतु अर्ह हो सकें।

2. उक्त शासनादेश दिनांक–11 मई, 2006 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

बी0 एन0 दीक्षित
सचिव, वित्त

संख्या–वे0आ0–2– /दस–2008– ,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(1) मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1057/दस–2008 दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 का सलग्नक

वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पदों पर पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंको एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हों। (Must be able to read English numerals and figures)

(2) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो। (Must have good knowledge of traffic regulations.)

(3) वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूँढने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हों। (Must be able to locate faults and carrry out minor running repairs.)

(4) वाहन के संचालन से पूर्व सामान्य चेकिंग एवं आवश्यकतानुसार कमियों को दूर करने का ज्ञान हो। (Must have knowledge of general checking & removal of defects as per requirement)

(5) हल्के/भारी वाहनों के चालकों का हल्का/भारी मोटरयान का वैध ड्राइविंग लाइसेंस। (Valid Driving Licence for Transport Vehicle for L.M.V./H.M.V.)

(6) वाहन के रख रखाव एवं वाहन से उत्सर्जित वायु प्रदूषण की समुचित जानकारी। (Appropriate knowledge of Vehicle maintenance and air pollution emitted by vehicle.)

परीक्षा––उपरोक्तानुसार ग्रेड–4 से ग्रेड–3 में पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट होगा।

वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंको एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो। (Must be able to read English numerals and figures.)

(2) यातायात सम्बन्धी नियमों की सम्यक् जानकारी हो। (Must have a appropriate knowledge of traffic regulations.)

(3) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूँढने एवं ठीक करने में सक्षम हो। (Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.)

(4) एम पी एफ आई/ कार्बुरेटर युक्त पेट्रोल वाहनों से सम्बन्धित साधारण कमियों को दूर करने का ज्ञान हो।

(Must be able to repair minor defects in MPFI / Carburetted engine vehicles)

(7) हल्के/भारी वाहनों के चालको का हल्का/भारी मोटरयान (एल0एम0वी0/ एच0एम0वी0) का परिवहन यान (व्यवसायिक) का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स। (Vaild Driving Licence for Transport Vehicle for LMV /H.M.V.)

(8) वाहन के रख रखाव एवं वाहन से उत्सर्जित वायु प्रदूषण की समुचित जानकारी। (Appropriate knowledge of vehicle maintenance and air pollution emitted by vehicle.)

परीक्षा––उपरोक्तानुसार ग्रेड–3 से ग्रेड–2 में पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट होगा।

उपर्युक्त प्राविधानित ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होने हेतु वही वाहन चालक अर्ह माने जायेंगे जो नियुक्ति प्राधिकारी को परिवहन विभाग द्वारा नये ड्राइविग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु स्वस्थता प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप पर रंग भेद न कर सकने हेतु नेत्र जांच (colour blindness/eye sight)का प्रमाण पत्र तथा शारीरिक स्वस्थता के सामान्य परीक्षण (General check up of body fitness)का मुख्य चिकित्साधिकारी/राजकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगे।

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 64 सा0वित्त–21.10.2008–(1311)–1000 प्रतियां–(क0/आ0)।